



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

श्रीवत्सल

पत्रांक— 2400 /12-1 देहरादून : दिनांक: 28 जून, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25—सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लंबाई 05 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)

संदर्भ —भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/09/2019/एफ0सी0/1056 दिनांक 23.12.2024.

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयोंकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—3610/12-1(2) दिनांक 19-05-2026 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:—

क्र.	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state Government of Uttarakhand submitted that the Governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1983 under Indian Forest Act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना संख्या 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1)
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के0एम0एल0 फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 है0 है, जिसमें से 2.61 है0 नाप भूमि है व शेष 1.89 है0 वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 है0 वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

3	Alternative alignment of road is not submitted. State Government is requested to submit the details of alternate alignment.	वन संरक्षक द्वारा द्वारा उपलब्ध कराया गया वैकल्पिक समरेखन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त संरेखण पूर्व में भी प्रेषित किया जा चुका है। (संलग्नक-2)
4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-3)
5	A proper SIR of DFO in revised format is required to be submitted.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि उक्त के क्रम में वन संरक्षक द्वारा प्रेषित उत्तर मय संलग्नक प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,
M. Joshi
 (मीनाक्षी जोशी)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2400 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।

M. Joshi
 (मीनाक्षी जोशी)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक,
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3610 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/05/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लंबाई 05 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध में।(प्रस्ताव सं०- 43777/2020)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं०-08 बी/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६, दिनांक ०९.०९.२०२५

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 7455/12-1, दिनांक 04.05.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय



(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी पिथौरागढ़

आ. का. करे।

Muh

3-6-26

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक सं० 43778
पत्रांक सं० 121
दिनांक 04-06-26

18 MAY 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/ 05964-225234

पत्रांक:- 7455 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, अप्रैल, 2026।

4/5/26

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० २३-१२-२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक २०५५/१२-१ दिनांक १३.१०.२०२५ व पत्रांक ७०६७/१२-१ दिनांक ३०.०५.२०२५ द्वारा आख्या पूर्व में मय संलग्नक प्रेषित की जा चुकी है। पुनः बिन्दुवार आख्या प्रश्नोत्तर रूप में निम्नवत् प्रेषित है:-

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-३ सं० ८६६/-३-२०११/८(२१)/२०१० दिनांक २८.०९.२०११ द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं० ८६९/एफ/६३८ दिनांक १७.१०.१८९३ को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० ३९५/सात-८/२०१७-१८ दिनांक २९.११.२०१७ के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक ७६१२/१२-१ दिनांक १३.०५.२०२४ द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के०एम०एल० फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल ४.५ हे० है, जिसमें से २.६१ हे० नाप भूमि है व शेष १.८९ हे० वन भूमि है, जिस हेतु १.८९ हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है ।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 7067 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056 दि0 23-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है:-

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 सं0 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं0 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के0एम0एल0 फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 हे0 है, जिसमें से 2.61 हे0 नाप भूमि है व शेष 1.89 हे0 वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 हे0 वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है तथा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,
(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 2055/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13 अक्टूबर, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 85/12-1 देहरादून दि0 10.07.2025 व भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056 दि0 23-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लेखित कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1.	भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 16.06.2025 के साथ संलग्न आपका पत्र दिनांक 30.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के बिन्दु सं0 04 के कम में वृक्षारोपण की 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना नई प्रचलित दरों (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अनुसार तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा माह मार्च, 2025 में निर्गत ओदशों के कम में संशोधित दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षों की वृक्षारोपण योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,



(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुबानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

Check list for site inspection by the DFO

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	1.89 hectare
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Start Point - 29° 44' 47.70" N 80° 07' 26.7" E End Point - 29° 44' 13.00" N 80° 07' 40.65" E
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	Civil soyam Land- 1.17 ha & Van Panchayat- 0.72 ha.
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	—
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Mango, Queral, kukat etc
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	—
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	—
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Van Panchayt & civil soyam land.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	There is no historical or religious structure present in the proposed land. A certificate is attached regarding it by the user agency.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be	No

	displaced?	
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory Afforestation is proposed. Toposheet Map & suitability certificate of proposed CA area is attached with the proposal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area is not a part of any Protected area. And it is beyond 10 km from Askot wild life sanctuary.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	There is no dependence of tribals in the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	About 600 villagers of Retoli, Mayal & Gurna village will get benefitted from the proposed road.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	—
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Alternative alignment is attached with the proposal.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes, Certificate is attached by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	CA scheme of 3.78 ha is attached with the proposal.
23	Any other issue of significance.	—
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This project is recommended in public interest.

Signature

Name

Designation

Seal

- 
 - Ashutosh Singh
 प्रभारित वन अधिकारी
 Divisional Forest Officer
 पिथौरागढ़ वन प्रभाग
 पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- 7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस बल की अग्रिम चौकी बिल्सिया-बेस में कैम्प स्थापना हेतु
1.619 हे0 वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव (FP/UK/POLICE/577430/2026).

Check list for site inspection by the DFO

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	1.619 hectare
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	30° 24' 59.61" N 80° 37' 27.23" E
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	Unclassed
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	-
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	-
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	The proposed area is beyond tree line.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	It is a high altitude area with likely presence of wildlife species like Snow leopard etc. The project will not have any detrimental impact on such wildlife.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	-
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	It is an unclassified forest for which no specific prescription are available in working plan.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	Strategically important area due to international India-China border.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability	Compensatory Afforestation is proposed. Toposheet Map & suitability certificate of

	of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	proposed CA area is attached with the proposal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area is not a part of any Protected area. And it is beyond 10 km from Askot wild life sanctuary.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	There is no dependence of tribals in the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	The project is important from a strategic & security point of view as it guards the international border of India.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	As per the user agency the proposed area is best suited for their project, And there is no alternate available for the same.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes, Certificate is attached by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	No trees are getting affected from this project.
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This project is strategically important for the border forces and highly significant for the security of our international border. Hence the project is recommended.

Signature - 
 Name - Ashutosh Singh
 Designation - Divisional Forest Officer
 Seal - पिथौरागढ़

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1132 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 30/10/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 05 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध में। (प्रस्ताव सं०-43777/2020)

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/06/09/2019/एफ०सी०/1056, दि०-23.12.2024।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2055/12-1, दिनांक 13.10.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून.

यू०सी० सं० 3532
पत्रावली 12-1
पत्रांक 6-11-35

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी पिथौरागढ़
आ.का.के.।

र. प्र.
प्र. व. सं. नो.
6-11-25

21 JUN 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax: 05964-225234

पत्रांक:- 7067/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)।

सन्दर्भ:

भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० २३-१२-२०२४।

महोदय,

निम्नवत् प्रेषित है:-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 सं० 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं० 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के०एम०एल० फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 हे० है, जिसमें से 2.61 हे० नाप भूमि है व शेष 1.89 हे० वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - 1

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3
संख्या:-866/X-3-2011/8(21)/2010
देहरादून:- दिनांक:- 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 संपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा-28 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-869 एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को निखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अन्य प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियाँ आधिकारिक गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड फाईल।

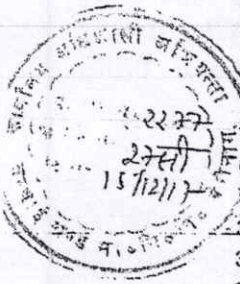


Digitized by srujanika@gmail.com

आज्ञा से,
Rajeev Gupta
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संलग्नक-3

आदेश.



राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39)-15/2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील बेरीजाग अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम रैतोली पट्टी खितौली के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-11 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 724 रकबा 0.031 है, 726 रकबा 0.050 है, 762 रकबा 0.025 है, 820 रकबा 0.030 है, 821 रकबा 0.031 है, 822 रकबा 0.050 है, 823 रकबा 0.080 है, 871 रकबा 0.006 है, 880 रकबा 0.005 है, 914 रकबा 0.040 है, 934 रकबा 0.030 है, 962 रकबा 0.005 है, 989 रकबा 0.030 है, 1002 रकबा 0.031 है, 1003 रकबा 0.026 है, 3082 रकबा 0.003 है, 3083 रकबा 0.048 है, 3099 रकबा 0.020 है, 3215 रकबा 0.040 है, 3227 रकबा 0.005 है, 3317 रकबा 0.010 है, 3355 रकबा 0.003 है, 3374 रकबा 0.146 है, 3388 रकबा 0.160 है कुल 24 खेत रकबा 0.905 है तथा खाता संख्या-22 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 3326 रकबा 0.010 है, 3405 रकबा 0.005 कुल 02 खेतों की 0.015 है इस प्रकार उक्त दो खातों के कुल 26 खेतों की 0.920 है राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा जिला योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29.07.2012 के क्रम में निम्न लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्त होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....02 पर

Name Of Project Ritha Retoli To Muwani Motor Road**Performa for comparison between identified alignments**

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Hilly	Hilly
2	Length of Road	5.00km	5.00km
3	Bridging requirement No. and Length	nil	Nil
4	Geometric	-	-
	(a) Gradients	1:22F,1:24F	1:22F,1:24F
	(b) Curves, H.P Bends	1 no	3NO
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Bridle Path multi track	Bridle Path multi track
6	Right of way, bringing out, construction on account of built up areas, monuments and other structures.	nil	Nil
7	(a) Terrain & Soil Condition.	5.00km	5.00km
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types.	Nil Good 1200-1500mts	Nil Good 1200-1500mts
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensitiesmonthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data	(a)Max40,min10 (b)june-september (c)No snow area North-east Minor damage&mayoccur during rainy season	(a)Max40,min10 (b)june-september (c)No snow area North-east Minor damage&mayoccur during rainy season

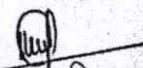
	average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.		
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(a)Nill (b)Nill (c)Local food grain available as par (d)Locals&Napalis (e)stone local available sand& grit from haldwani	(a)Nill (b)Nill (c)Local food grain available as par (d)Locals&Napalis (e)stone local available sand& grit from haldwani
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc,	Agricultural-39.15 Lac Forest land-28.35 Lac	Agricultural-39.15Lac Forest land-28.15 Lac
11.	Approximate Const. Cost.	65.88Lac	65.88Lac
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Pithoragarh-70km	Pithoragarh-70km
13.	Period required for construction.	1 year	1 year
14.	Strategic Consideration.	nill	nill
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.	Retoli,Gurna,Mayal	Retoli,Gurna,Mayal
16.	Recreational potential.	May development by this alignment	May development by this alignment
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and	Agricultures and other local product Total population-600	Agricultures and other local product Total population-600

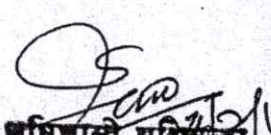
	economic potential of the area.	S.C population-200	S.C population-200
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.	Nill	nill
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty	nill	nill
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.	Available 12-months	Available 12-months
20.	Total No. of trees to be removed .	26	220
21.	Average Density of forest cover .		
22.	(a) Merits (b) Demerits	1. All Villagers are agree with this alignment 1. More nap land will be effected	1. mostly villagers are not agree with this alignment More trees will be effected
23.	Total No. of Demerits	-	-

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. (1) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.


Junior Engineer/J.E.
P.W.D. Berinag


सहायक अभियंता
अ.प.व.क. वि. वि.
P.W.D. Berinag
बरेनाग (प्रियारागढ़)


अधीनस्थ अभियंता
Executive Engineer
अ.प.व.क. वि. वि.
P.W.D. Berinag
बरेनाग (प्रियारागढ़)

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में रीठा रैतौली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 कि०मी० में पड़ने वाली 1.89 हे० वन भूमि के बदले 3.78 हे० में रिक्त पड़े स्थानों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य 10 चरणों तक अनुरक्षण कार्य का विवरण-

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्रफल- 1.89 हे०
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल- 3.78 हे०
वृक्षारोपण स्थल का नाम:- रैतौली सिविल- 3.78 हे०
प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1100

2.7.1	प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य	ईकाई	दर	धनराशि
क्रम सं०	कार्य का विवरण			
2.7.1.1	साईट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति हे०	1453.00	1453.00
2.7.1.2	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे०	1259.00	1259.00
2.7.1.3	घेरबाड़ कार्य	प्रति हे०		
2.7.1.4	कुली वाल (100 घ०मी० प्रति हे० 193 र०मी० प्रति हे०) (1x0.45x1.15)	प्रति घ०मी०	730.00	730.00
2.7.1.5	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूर्क सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	15.90	20988.00
2.7.1.6	गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	15.80	56279.60
2.7.1.7	भूमि संरक्षण कार्य 1- कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x27=12150) (औसत साईज- 1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x.5000=10000) (औसत साईज- 1x0.30x0.30) कुल योग-22150	प्रति हे०	28750.00	28750.00
2.7.1.8	निरीक्षण बटिया	प्रति हे०	1046.00	1046.00
	उप-योग			110505.60
2.7.1.9	पौधलय विकास एवं अनुरक्षण कार्य- 2 प्रतिशत			2210.11
2.7.1.10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण -0.50 प्रतिशत			552.53
2.7.1.11	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			552.53
2.7.1.12	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			1105.06
2.7.1.13	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			1105.06

Shruti

2.7.1.14	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			2210.11
	प्रथम वर्ष का योग			118240.99
2.7.2	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.2.1	गडडा भरान	प्रति गडडा	2.48	2728.00
2.7.2.2	कन्टूर फर्रो में बीज बुआई		1.50	675.00
2.7.2.3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	2.70	3564.00
2.7.2.4	पौध ढुलान			0.00
2.7.2.5	वाहन द्वारा 50 किमी० दरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	12.17	16064.40
2.7.2.6	सिरबोझ ढुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	8.16	10771.20
2.7.2.7	पौध रोपण	प्रति पौध	4.44	4884.00
2.7.2.8	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	1.64	1804.00
2.7.2.9	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	1.64	1804.00
2.7.2.10	खाद/रसायन	प्रति पौध	0.45	495.00
2.7.2.11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 5 है० पर) (9884 दर से 8 माह) / 5 है० = 15814	प्रति है०	20568.00	20568.00
2.7.2.12	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
2.7.2.13	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	26.67	26.67
2.7.2.14	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	1.50	1.50
	उप-योग			63703.77
2.7.2.15	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			637.04
2.7.2.16	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			318.52
2.7.2.17	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			637.04
2.7.2.18	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			637.04
2.7.2.19	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			1274.08
2.7.2.20	साइन बोर्ड लगाना (3x4 फीट) कम्प्लीट कार्य		L.S	1000.00
	द्वितीय वर्ष का योग			68207.48
2.7.3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि

Shankar

2.7.3.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है0 = 30852	प्रति है0	30852	30852
2.7.3.2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	प्रति पौध	38.93	8562.40
2.7.3.3	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	1.64	820.00
2.7.3.4	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	1.64	820.00
2.7.3.5	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00
	उप-योग			41372.40
2.7.3.6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			413.72
2.7.3.7	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			206.86
2.7.3.8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			413.72
2.7.3.9	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			413.72
2.7.3.10	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			827.45
	योग			43647.88
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि			2182.39
	तृतीय वर्ष का योग			45830.28
2.7.4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)			
क्रम सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.4.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है0 = 30852	प्रति है0	30852	30852
2.7.4.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00
	उप-योग			31170.00
2.7.4.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.4.4	श्रम कल्याण कार्य -0.50 प्रतिशत			155.85
	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70

Shruti

	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.4.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	योग			32884.35
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1644.22
	चतुर्थ वर्ष का योग			34528.57

2.7.5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.5.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) /5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.5.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.5.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.5.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85
	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	पंचम वर्ष का योग			34442.85

2.7.6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.6.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) /5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.6.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.6.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.6.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85

Shamsh

	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.6.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
2.7.6.6	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
2.7.6.7	षष्ठम वर्ष का योग			34442.85

2.7.7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.7.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.7.2	सुरक्षा दीवार/घेरवाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
2.7.7.3	उप योग			31170.00
2.7.7.4	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.7.5	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85
2.7.7.6	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.7.7	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.7.8	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	सप्तम वर्ष का योग			34442.85

2.7.8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.8.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.8.2	सुरक्षा दीवार/घेरवाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.8.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.8.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85

Shankar

	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.8.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
2.7.8.6	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
2.7.8.7	अष्टम वर्ष का योग			34442.85

2.7.9 नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.9.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.9.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.9.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.9.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85
2.7.9.5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.9.6	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.9.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	नवम वर्ष का योग			34442.85

2.7.10 दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.10.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.10.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.10.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.10.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85

Shunil

2.7.10.5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.10.6	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.10.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	दशम वर्ष का योग			34442.85

2.7.11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)			
कम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.11.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.11.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.11.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.11.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत			155.85
2.7.11.5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.11.6	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत			311.70
2.7.11.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	एकादश वर्ष का योग			34442.85
2.7.12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)			
कम सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
2.7.11.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह) / 5 है० = 30852	प्रति है०	30852.00	30852.00
2.7.11.2	सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप योग			31170.00
2.7.11.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत			311.70
2.7.11.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.75 प्रतिशत			233.78

Shudh

2.7.11.5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1.50 प्रतिशत			467.55
2.7.11.6	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 2.50 प्रतिशत			779.25
2.7.11.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			623.40
	महंगाई दर का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर वृद्धि योग			1558.50
	द्वादश वर्ष का योग			35144.18

व्यय सार				
2.7.1	प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य			118240.99
2.7.2	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य			68207.48
2.7.3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)			45830.28
2.7.4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)			34528.57
2.7.5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)			34442.85
2.7.6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)			34442.85
2.7.7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)			34442.85
2.7.8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)			34442.85
2.7.9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)			34442.85
2.7.10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)			34442.85
2.7.11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)			34442.85
2.7.12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)			35144.18
	कुल योग			543051.44
	या			543037.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

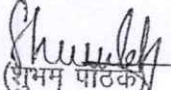
543037.00 रु०

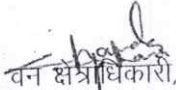
वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

3.78 है०

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 3.78 है० X 543037 = 2052679.86

या 2052680.00


(शुभम पाटिक)
वन दसोगा अनुभाग अधिकारी
उमरी, कोटवा, अनुभाग


वन क्षेत्राधिकारी,
बेरीनाग


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुबानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

Check list for site inspection by the DFO

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	1.89 hectare
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Start Point - 29° 44' 47.70" N 80° 07' 26.7" E End Point - 29° 44' 13.00" N 80° 07' 40.65" E
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	Civil soyam Land- 1.17 ha & Van Panchayat- 0.72 ha.
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	-
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Mango, Queral, kukat etc
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	-
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	-
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Van Panchayt & civil soyam land.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	There is no historical or religious structure present in the proposed land. A certificate is attached regarding it by the user agency.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be	No

	displaced?	
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory Afforestation is proposed. Toposheet Map & suitability certificate of proposed CA area is attached with the proposal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area is not a part of any Protected area. And it is beyond 10 km from Askot wild life sanctuary.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	There is no dependence of tribals in the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	About 600 villagers of Retoli, Mayal & Gurna village will get benefitted from the proposed road.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Alternative alignment is attached with the proposal.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes, Certificate is attached by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	CA scheme of 3.78 ha is attached with the proposal.
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This project is recommended in public interest.

Signature

Name

Designation

Seal

- Ashutosh Singh
प्रभागीय वन अधिकारी
Divisional Forest Officer
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़